तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/2/21	वकील प्रार्थी उपस्थित रिपोर्ट तहसीलदार देखी गयी। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा मनन किया। अतः प्रार्थी नं० 1 to 8 के विरुद्ध आगामी तारीख पेशी तक ए0 आई0 की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा 741/1 (3-15) 817/2 (0-11) 214/2 (2-00) 41 (3-08) के 1/2 हिस्सा वाले रकबा पोरशन का बैनामा नहीं करें तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखें। प्रार्थीगण रजिस्टर्ड डाक द्वारा विपक्षीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी होवे पत्रावली दिनांक 25/2/2021 को पेश हो। [signature]	
25/2/21	श्रीमान SDM का निरीक्षण है व्यस्तता है। अतः पत्रावली दरपेश तामील रिपोर्ट हेतु दिनांक 9/3/2021 को पेश होवे।	
9/3/21	बार द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। अतः पत्रावली दरपेश तामील रिपोर्ट हेतु दिनांक 23/3/2021 को पेश हो। [signature]	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ...
23/3/21	वकील वादी व प्रति० नं० 2 एवं वकील प्रति० नं० 3 उपस्थित। पत्रावली वास्ते अनु०/ 22 बहस आदेश पर बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। ... [illegible]
15/4/21	[illegible] दिनांक 20/5/2021 को पेश हो।

21/5/21

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/5/21	दिनांक 20/5/2021 को राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किये जाने से पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्तगण जवाब दावा व दस्ती तामील रिपोर्ट हेतु दिनांक 1.7.2021 को पेश हो। [signature]	
1/7/21	बार द्वारा न्यायालय का कार्य स्थगित किया। अभियुक्तगण जवाब दावा व दस्ती तामील रिपोर्ट हेतु दिनांक 12/8/2021 को पेश हो। [signature]	
12/8/2021	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी नं. 2 बाद सूचना अनु०। इनके एक-तरफा कार्यवाही की गई अनु०। बाद सूचना अनु० रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। वकील प्रार्थी अप्रार्थी नं. 1 व 8 को तलबी हेतु पुनः तलबाना पेश करे। रिपोर्ट हेतु दिनांक 24/8/2021 को पेश हो। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/8/2021	वादी द्वारा कन्सीलेशन किया गया अतः पत्रा० देखे प्रतिवादि नं. 1 व 8 की तलबी हेतु दिनांक 30/9/2021 को पेश हो।
30/9/2021	आज हम अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 18/11/2021 को पेश हो।
18/11/21	श्रीमान पीठासीन अधिकारी महो० प्रशासनगांव के संग अभियान में पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 20/01/2022 को पेश हो।
20/1/2022	श्रीमान पी०अ० अधिकारी महो० छुट्टी पर है। अतः पत्रावली दिनांक 17/2/2022 को पेश हो। Rohit
17/2/22	वकील वादी उपस्थित अप्रार्थी नं. 1 की ओर से वकील [illegible] व अप्रार्थी नं. 2 की ओर से वकील श्री हरीश खण्डेलवाल पत्र नं. 039 R 1 व 2 को पेश कर बयान आगे नहीं बढ़ाये जाने हेतु निवेदन किया जिसकी प्रति वकील वादी को दिलवाई जाकर समय प्रदान किया जाता है। अतः पत्रावली जवाब [illegible] हेतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व स्थगन आदेश दिनांक 14/3/2022 तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली आ. पत्र के निस्तारण हेतु दिनांक 14/3/2022 को पेश हो।	
14/3/22	बार द्वारा न्यायालय का कार्य स्थगित किया। श्रीमान एस० डी० एम० सा० [illegible] पधारे हैं। अतः पत्रावली प्रा० पत्र दिनांक 17/2/2022 के निस्तारण हेतु दिनांक 11/4/2022 को पेश हो।	
11.04.22	श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय प्रोटोकाल में व्यस्त हैं अतः पत्रावली दिनांक 16.5.2022 को पेश हो।	
16/5/22	श्रीमान SDM. [illegible] कैम्प में पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 04/7/2022 को पेश हो।	
07/7/22	श्री मान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली दिनांक 28/7/2022 को पेश।	
28/7/2022	पत्रावली पुकार अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र दिनांक 17/2/2022 के जवाब हेतु अवसर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	चाहा है अतः अवसर दिया जाता है। अतः पत्रावली प्रा० पत्र के जवाब हेतु दिनांक 10/8/2022 को पेश हो।
10/8/22	बार द्वारा न्यायालय का कार्य स्थगित किया गया। अतः पत्रावली 13/9/22 को पेश हो।
13/9/22	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 17/2/2022 के जवाब हेतु अवसर चाहा है। अतः अवसर दिया जाता है। अतः पत्रावली प्रा० पत्र के जवाब हेतु दिनांक 27/9/22 को पेश हो।
27/9/22	वकुलाय फरी० उपस्थित वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दि० 17/2/2022 के जवाब हेतु अवसर चाहा है अवसर दिया जाता है पत्रावली प्रा० पत्र दिनांक 17/2/2022 के जवाब हेतु दिनांक 18/10/2022 को पेश हो।
18/10/22	बार द्वारा कन्डोलेन्स किया गया अतः पत्रावली दिनांक 21/11/22 को पेश हो।

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/11/2022	वकुलाम फरीकैन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र दिनांक 17/2/2022 के जवाब हेतु अवसर चाहा है। अवसर दिया जाता है। पत्रावली प्रा० पत्र के जवाब हेतु दिनांक 29/11/2022 को पेश हो।	
29.11.2022	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र दिनांक 17/2/2022 का जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा है। अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रा० प्रार्थनापत्र के जवाब हेतु दिनांक 05/12/2022 को पेश हो।	
5/12/22	श्रीमान पीठासीन अधि० महोदय झालावाड़ पधारे हैं अतः पत्रावली दिनांक 22/12/22 को पेश हो।	
22/12/22	श्रीमान पीठासीन अधिकारी महो. की ड्यूटी रीट परीक्षा में झालावाड़ लगी हुई है। अतः पत्रा. दिनांक 9/1/2023 को पेश है।	
09/1/2023	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र का जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा है। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रा० प्रार्थनापत्र के जवाब हेतु दिनांक 16.1.2023 को पेश हो।	

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2022 [illegible] 31.1.2023 को पेश हो।
31/01/2023	[illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible] अत: पत्रावली [illegible] 13.2.2023 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, पचपहाड़
मु0 भवानीमण्डी

राजाराम उम्र [illegible] वर्ष आत्मज [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ (राज.)

//बनाम//

1. [illegible] पुत्र [illegible] उम्र 35 वर्ष आत्मज [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] जिला झालावाड़
2. [illegible] उम्र 70 वर्ष आत्मज [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील पचपहाड़ जिला कोटा
3. [illegible] उम्र 32 वर्ष आत्मज [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़
4. [illegible] उम्र 29 वर्ष आत्मज [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़
5. [illegible] बाई उम्र 40 वर्ष पुत्री [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़
6. [illegible] बाई उम्र 26 वर्ष पुत्री [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़
7. [illegible] बाई उम्र 60 वर्ष [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़
8. [illegible] उम्र 75 वर्ष आत्मज [illegible] निवासी [illegible] कोटा जिला कोटा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पचपहाड़

अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टी0 एक्ट

महोदय,

प्रार्थी सविनय निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 2[illegible] राजस्थान टी0एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जो ठोस आधारों पर होने के कारण उसमें सफलता की पूरी सम्भावना है।
2. यह कि प्रार्थी के खाते और कब्जे की आराजी निम्न प्रकार है:-

(अ) वाके गांव चोरखेड़ी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में खसरा नं. 74/1 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा (2.4658 हैक्ट.), खसरा नं0 77 रकबा 10 बिस्वा (0.1265 हैक्ट.), खसरा नं0 116 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा (1.2771 हैक्ट.), खसरा नं. 202 रकबा 03 बिस्वा(0. 0379 हैक्ट.), खसरा नं0 789 रकबा 10 बिस्वा (0.1265 हैक्ट.), कुल किता 5 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा (4.0338 हैक्ट.).।

(ब) वाके गांव चोरखेड़ी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में खसरा नं. 917/2 रकबा 11 बिस्वा (0.1391 हैक्ट.). ।

(स) वाके गांव चोरखेड़ी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में खसरा नं. 28/2 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा (1.4289 हैक्ट.), खसरा नं 29 रकबा 11 बिस्वा (0.1391 हैक्ट.), खसरा नं. 214/2 रकबा 2 बीघा (0.5058 हैक्ट.), खसरा नं. 880 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा(0. 9484 हैक्ट.)।

(द) वाके गांव चोरखेड़ी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में खसरा नं. 41 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा (0.8599 हैक्ट.), खसरा नं. 45 रकबा 01 बिस्वा(0.0126 हैक्ट.), खसरा नं 74/2 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा (1.4668 हैक्ट.), खसरा नं. 858/1 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा (1.8462 हैक्ट.), खसरा नं. 917/1 रकबा 10 बिस्वा आराजी स्थित है।

राजाराम पु० [illegible]

3. यह कि चरण 01 के उप चरण "अ" में से खसरा नं. 74/1 रकबा 9 चरण "ब" में खसरा नं. 917/2 रकबा 11 बिस्वा, उप चरण "स" में खसरा नं. रकबा 2 बीघा तथा उप चरण "द" में खसरा नं. 41 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में से 1/2 हिस्से के संबंध में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कारण उपरोक्त वर्णित आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।
4. यह कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में संयुक्त खाते की आराजी रही है जो पूर्व में श्रीमती हाजरा बाई बेवा अलीमुददीन, फजहमुददीन व कुतुबुददीन, हुसेन, लतीफन के शामलाती खाते में दर्ज रही है बाद में विक्रय हो जाने और आपसी बंटवारा हो जाने के कारण अलग अलग खातों में दर्ज वर्तमान में हो रही है। वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 74 के साबिक नम्बर 70, वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 41 के साबिक नम्बर 39, वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 917 के साबिक नम्बर 813, वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 214 के साबिक नम्बर 196 रहे है।
5. यह कि वादग्रस्त आराजी को दिनांक 11 जून 1973 को वादग्रस्त आराजी के खातेदारान कुतुबुददीन एवं लतीफन ने जरिर्ये रजिस्टर्ड बेचान प्रार्थी को कर वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्रार्थी को सम्भला दिया वादग्रस्त आराजी में कुतुबुददनी व लतीफन का सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी ने खरीद किया और वक्त खरीद से प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है प्रार्थी से पूर्व वादग्रस्त आराजी पर कुतुबुददीन व लतीफन का कब्जा था जिस स्थान पर कुतुबुददीन व लतीफन का कब्जा काश्त था उस स्थान पर ही प्रार्थी ने वक्त खरीद दिनांक 11 जून 1973 को कब्जा प्राप्त किया और लगातार काबिज चला आ रहा है काश्त कर रहा है वादग्रस्त आराजी आज भी कब्जा प्रार्थी का निरन्तर चला आ रहा है।
6. यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 74/1 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा जिस पर प्रार्थी का कब्जा वक्त खरीद से है उसकी चतुर्सीमा पूर्व में प्रार्थी का स्वयं का खेत पश्चिम में हुसेन आत्मज नईमुददीन का खेत उत्तर में भैरूलाल आत्मज अमरलाल का खेत तथा दक्षिण में शफीक अहमद आत्मज शकुर खां है।
7. यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 917/2 रकबा 11 बिस्वा जिस पर प्रार्थी का कब्जा वक्त खरीद से है उसकी चतुर्सीमा पूर्व में हाजरा बाई, लतीफन हुसेन, कुतुबुददीन का खेत पश्चिम में प्रार्थी स्वयं का खेत उत्तर में प्रार्थी का स्वयं का खेत तथा दक्षिण में रामचन्द्र आत्मज भवानीशंकर का खेत है।
8. यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 214/2 रकबा 2 बीघा जिस पर प्रार्थी का कब्जा वक्त खरीद से है उसकी चतुर्सीमा पूर्व में रास्ता पश्चिम में मांगी बाई का खेत उत्तर में रामदयाल का खेत तथा दक्षिण में गोरधन कुम्हार का खेत है।
9. यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 41 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा जिस पर प्रार्थी का कब्जा वक्त खरीद से है उसकी चतुर्सीमा पूर्व में रतन का खेत पश्चिम में किशन मेहर का खेत उत्तर में रतन का खेत तथा दक्षिण में रास्ता है।
10. यह कि वादग्रस्त आराजी पर वक्त खरीद से प्रार्थी का कब्जा लगातार एलानिया सहधिकार शान्तिपूर्व अप्रार्थीगण व गांव वालों की जानकारी में खुले रूप से चला आ रहा है और आज भी कब्जा प्रार्थी का ही है। प्रार्थी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा आराजी खरीद कर काबिज हुआ है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार हो गया है जिसकी घोषणा माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है।
11. यह कि वादग्रस्त आराजी वक्त खरीद दिनांक 11 जून 1973 को शामलाती खातें में स्थित थी प्रार्थी द्वारा कुतुबुददीन व लतीफन का हिस्सा खरीद किया शेष सहखातेदारान का हिस्सा प्रार्थी द्वारा खरीद नही किया गया है कुतुबुददीन व लतीफन के हिस्से व कब्जे वाली भूमि पर ही प्रार्थी ने कब्जा प्राप्त किया आराजी संयुक्त खातेदारी की होने के कारण तथा अन्य खातेदारान द्वारा बेचान प्रार्थी को नही करने के कारण प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक नही हुआ और वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदारान के नाम ही दर्ज रह गयी। सहखातेदारान ने आपस में बंटवारा करवा लिया

राजाराम कुलश्री

Scanned with OKEN Scanner

तथा बंटवारे के बाद सभी के खाते अलग अलग दर्ज हो गये प्रार्थी की खरीद शुदा आराजी खसरा नं. 74/1 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा हाजरा बाई बेवा अलीमुददी, फहीमुददीन व कुतुबुददीन हुसेन पिता नईमुददीन मुसलमान के नाम दर्ज हो गयी हाजरा बाई का देहान्त हो गया उसके पुत्र निजामुददीन का भी देहान्त हो गया तथा उसका वारिस अप्रार्थी नं. 01 मौजूद है फहीमुददीन लाऔलाद फौत हो गया कुतुबुददीन अप्रार्थी नं. 2 है। प्रार्थी की खरीद शुदा और कब्जे वाली आराजी खसरा नं. 917/2 रकबा 11 बिस्वा बंटवारे में कुतुबुददी के नाम दर्ज हुई तथा कुतुबुददीन द्वारा प्रभूलाल आत्मज नन्दा जाति कुल्मी को उक्त आराजी का बेचान कर दिया किन्तु प्रभूलाल आत्मज नन्दा ने कभी भी खसरा नं. 917/2 पर कब्जा प्राप्त नही किया क्योंकि उक्त आराजी को पूर्व खातेदार द्वारा पहले ही प्रार्थी को बेचान कर दिया था और उस आराजी पर कब्जा प्रार्थी का निरन्तर चला आ रहा है। प्रभूलाल के फौत हो जाने के बाद उक्त आराजी उसके वारिसान के नाम नामान्तरण संख्या 1253 के द्वारा दर्ज हो गयी प्रभूलाल के वारिसान अप्रार्थी नं. 3 लगातयत 7 है। नामान्तरण सं. 1250 दिनांक 12.03.2016 व नामान्तरण सं. 1253 दिनांक 24.04.2016 से प्रार्थी के अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्ध उक्त नामान्तरण प्रभाव शुन्य है खसरा नं. 41 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा आराजी बंटवारे में हुसेन आत्मज नईमुददीन के नाम दर्ज हो गयी किन्तु उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर कब्जा प्रार्थी का निरन्तर चला आ रहा है प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है हुसेन अप्रार्थी नं. 8 है। तथा खसरा नं. 214/2 रकबा 2 बीघा की आराजी भी हाजरा बाई के नाम दर्ज हेा गई है। जिसका वारिस अप्रार्थी संख्या 1 है। जिसका खसरा नं. 214/1 पर कभी भी कब्जा नही रहा उक्त आराजी पर कब्जा वक्त खरीद से प्रार्थी का ही चला आ रहा है

12. यहकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गयी कब्जा प्राप्त किया निरन्तर काबिज चला आ रहा है प्रार्थी ने लाखों रूपये खर्च कर अपनी वर्षो की मेहनत से आराजी को उन्नत व विकसित किया है आराजी पर कुंवा खुदवाया है तथा वृक्ष लगायें वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण प्रार्थी के नाम दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ रही है और वह आराजी को रहन खुर्द बुर्द करने की योजना बना रहे है पिछले 10–15 दिनों से प्रार्थी को आराजी का बेचान अन्य व्यक्ति को करने और कब्जा छिनने की धमकी दे रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है प्रार्थी को अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है।

13. यह कि यह कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने , वादग्रस्त आराजी को रहन बेचान अथवा खूर्द बूर्द करने में सफल हो गये तो प्रार्थी अपने अधिकार स्वामित्व कब्जे की भूमि से बेदखल हो जावेगा। उसे लाखों रूपयें का नुकसान होगा तथा उसे ऐसी क्षति होगी जिसका द्रव्य में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा, प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है प्रथम दृष्टिया प्रार्थी का ठोस प्रकरण है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे की दौरानेवाद वे वादग्रस्त आराजी वाके गाव चोरखेडी तह0 पचपहाड की खाता संख्या 415 में से खसरा नं0 74/1 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा(2.4658 हैक्ट.), खाता संख्या 52 में खसरा नं. 917/2 रकबा 11 बिस्वा(0.1391 हैक्ट.), खाता सं. 414 में खसरा नं. 214/2 रकबा 2 बीघा (0.5058 हैक्ट.), तथा खाता सं. 419 में खसरा नं. 41 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा (0.8599 हैक्ट.), का 1/2 हिस्से पर जबरन कब्जा नही करें वादी के कब्जे में मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करे ना ही अपने किसी मित्र नौकर या एजेन्ट से करावे। वादग्रस्त आराजी को रहन बेचान अथवा खूर्द बूर्द न करें रिकार्ड व मोके की यथास्थिती बनाऐ रखें

दिनांकः 2 | 2 |2021

प्रार्थी राजाराम कुल्मी

राजाराम उम्र वर्ष आत्मज नन्दलाल
जाति कुल्मी निवासी चोरखेडी तहसील
पचपहाड जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेजो की सूची

वादी/प्रतिवादी

फार्म नं.3 नियम 36

सूची दस्तावेज जो आदेश 7 नियम 14 और आदेश 13 नियम 1 के अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

न्यायालय ..... उपखण्ड अधिकारी महोदय ..... स्थान ..... भवानीमण्डी .....

..... राजाराम ..... विरुद्ध ..... मोहम्मद रईसान वगै. .....

वाद संख्या ..... सन् ..... दावा बाबत ..... 212 R. T. Act

संख्या	दस्तावेज का वर्णन	तारीख दस्तावेज	दस्तखत फरीकेन या वकील मय तारीख	अगर शहादत मे लिया गया या इन्कार किया गया	अगर शहादत मे लिया गया	रसीद फरीकेन अगर शहादत मे न लिया जाकर वापस दिया गया	विशेष विवरण
1.	आधार कार्ड फोटो प्रति नं. 293669149816						
2.	जमाबन्दी खसरा संख्या 439						
3.	—— " —— 47						
4.	—— " —— 433						
5.	—— " —— 432						
6.	विक्रय - पत्र						
7.	प्रार्थना - पत्र						

राजाराम कुलमी

Scanned with OKEN Scanner

17/1/22

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी महोदय, भवानीमण्डी जिला झालावाड राज0

राजाराम // बनाम // **मोहम्मद एहसान**

प्रार्थना पत्र : आर्डर 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 212 आर0टी0एक्ट0

प्रार्थना पत्र संख्या : 13/2021

महोदय,

उक्त उनवान प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि

यह कि उक्त उनवान प्रार्थना पत्र में आज दिनांक को तारिख पेशी नियत है। तथा पूर्व में बिना अप्रार्थी को सुने ही एकतरफा स्थगन दिनांक 03/02/2021 को अप्रार्थी के विरूद्ध कर दिया गया जबकि प्रार्थी वाद/प्रकरण में समस्त तथ्यो को छुपाकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया। इन्ही ख0सं0 को लेकर पूव में न्यायालय द्वारा माननीय न्यायलाय द्वारा प्रकरण का निर्णय किया जा चुका है तथा इसी अपील आर0ए0ए0 कोटा तथा रेवन्यु बोर्ड अजमेर में भी निर्णय हो चुका है। जहॉ से भी कोई रिलिफ वादी राजाराम को नही मिला है तथा अजमेर रेवन्यु बोर्ड की अपील राज0 हाईकोर्ट न्यायालय में राजाराम के द्वारा की गई थी वह भी खारिज हो चुकी है। यह कि एक ही प्रकरण जिसमे वाद विवाद, विषय वस्तु एक ही हो जब एक न्यायालय से निर्णय हो जाता है तो पुनः उसी न्यायालय को उस वाद का सुनवाई का अधिकार नही है जेसा कि इस वाद में हुआ है। रेस डुजीकेटा सिद्धान्त के अनुसार से प्रकार का वाद मेन्टेनेबल नही है। तथा प्रार्थना खारिज होने योग्य है। धारा 11 सी0पी0सी0 के अनुसार न्यायालय में इस प्रकार का वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है। यह कि प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश आगे ना बढाया जावे। तथा स्थगन आदेश विरूद्ध अप्रार्थी को खारिज फरमाया जावे।

अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे ना बढाया जावे तथा प्रार्थना पत्र मय स्थगन आदेश मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दिनांक : 20/01/2022

अप्रार्थी

कुतुबुद्दीन आ0 नईमुद्दिन जाति मुसलमान
निवासी कनवास तहसील सांगोद जिला
कोटा राज0

जर्ये अधिवक्ता

हरीश खण्डेलवाल एडवोकेट
भवानीमण्डी
9829710006

Scanned with OKEN Scanner